



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042026-271881
CG-DL-E-17042026-271881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2026/चैत्र 27, 1948

No. 263]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2026/CHAITRA 27, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 287(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2008 और पश्चात संशोधनों को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या करने का लोप किया गया है, भारतीय आर्थिक सेवा भर्ती की पद्धति और सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्थिक सेवा नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - (1) “काडर नियंत्रण प्राधिकारी” से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;
(2) “आयोग” से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

- (3) “विभागीय प्रोन्नति समिति”, “विभागीय पुष्टि समिति” और “स्क्रीनिंग समिति” से अनुसूची 5 एवं 6 में यथाउपदर्शित किसी श्रेणी क्रमशः प्रोन्नति, पुष्टि, अकृत्यिक चयन श्रेणी प्रदान करने और अकृत्यिक उन्नयन पर विचार करने के लिए गठित समितियां अभिप्रेत हैं;
- (4) “ड्यूटी पद” से अनुसूची 1 में सम्मिलित पद अभिप्रेत हैं;
- (5) “परीक्षा” से आयोग द्वारा अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट भारतीय आर्थिक सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा सम्मिलित है;
- (6) “सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (7) “श्रेणी” से अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिप्रेत है;
- (8) “राष्ट्रपति” से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत है;
- (9) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (10) “सेवा” से इन नियमों के नियम 3 के उपबंधों के अनुसरण में गठित भारतीय आर्थिक सेवा अभिप्रेत है,;
- (11) “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” का वही अर्थ होगा जो क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है;
- (12) “अन्य पिछड़ा वर्ग” का वही अर्थ और प्रयोज्यता होगी जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 8 सितंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) में समय-समय पर संशोधित रूप में अधिकथित है;
- (13) “नियमित सेवा” से किसी श्रेणी के संबंध में उस श्रेणी में नियमों के अधीचयन और नियमित नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में की गई सेवा अवधि अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत ऐसी कोई अवधि सम्मिलित है:
- उन मामलों में जो इन नियमों की अधिसूचना के समय पहले से सेवारत व्यक्तियों की ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए इसे ध्यान में रखा जाता है;
 - जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में कोई पद धारण किए होता है, किंतु छुट्टी पर होने या अन्यथा ऐसे पदों को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं है।
3. सेवा का गठन – (1) ‘भारतीय आर्थिक सेवा’ के नाम से ज्ञात सेवा का गठन किया जाएगा, जो नियम 4, नियम 6 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।
- (2) इस सेवा में सम्मिलित सभी पदों को समूह 'क' के पद के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
4. सेवा के सदस्य – (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्: -
- इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को भारतीय आर्थिक सेवा के वे अधिकारी जो सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियमित आधार पर ड्यूटी पदों या लियन पदों पर कार्यरत हैं, उन्हें इन नियमों के अधीन उन पदों पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा; और
 - नियम 6 के अधीन ड्यूटी पद पर नियुक्त व्यक्ति।
- (2) उप नियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति, अपने लिए यथा लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य बना रहेगा।

- (3) उप नियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति, इन नियमों के अधीन अपनी नियुक्ति की तारीख से अपने लिए लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य बन जाएगा।
- (4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा संबंधित तत्स्थानी श्रेणियों में इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले की गई नियमित सेवा की ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यिक चयन श्रेणी और अकृत्यिक उन्नयन के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के रूप में गणना की जाएगी।
- 5. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और उनका पुनर्विलोकन –** (1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या, प्रत्येक श्रेणी में ड्यूटी पदों की संख्या और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (2) विभिन्न मंत्रालयों या विभागों में ड्यूटी पदों का वितरण अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट होगा।
- (3) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख के पश्चात्, सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या ऐसी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग द्वारा यथाअधिक स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित की जाए, जिसे इन नियमों में सम्यक रूप से समाविष्ट किया जाएगा।
- (4) काडर नियंत्रण प्राधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर यथाअधिक स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से जो विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की स्वीकृत संख्या में आवश्यक समझे परिवर्तन कर सकेगा।
- (5) सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच भाग लेने वाले मंत्रालय या विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के वितरण में ऐसा समायोजन कर सकेगी जो यह उचित समझे।
- (6) सरकार, आयोग और सरकार [वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (जहाँ लागू हो) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग] के परामर्श से, सेवा में ऐसे पद (अनुसूची 1 में सम्मिलित पदों से भिन्न) सम्मिलित कर सकती है जो प्रास्थिति, श्रेणी, वेतनमान और व्यावसायिक संदर्भ में सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य हों, या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी भी पद को सेवा से बाहर कर सकती है।
- (7) काडर नियंत्रण प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से, उप नियम (6) के अधीन सेवा में सम्मिलित पद वाले अधिकारी को समुचित श्रेणी में अस्थायी या स्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे, और इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों के अनुसार ऐसी श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगा।
- 6. सेवा का भविष्य में अनुरक्षण –** (1) किसी श्रेणी में पद पर निम्नलिखित रीति द्वारा शासित होंगे और भरे जाएंगे, अर्थात्
- (1) कनिष्ठ समय मान श्रेणी में साठ प्रतिशत रिक्तियों को अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रीति में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

- (2) कनिष्ठ समय मान श्रेणी में 40 प्रतिशत रिक्तियों को काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400रु.) के आर्थिक अधिकारियों या अन्वेषक श्रेणी-1 या सहायक निदेशक श्रेणी -2 की प्रोन्नति द्वारा अनुसूची 4 के उपबंधों के अनुसार चयन के आधार पर भरा जाएगा।
- (3) सेवा में ज्येष्ठ समय मान और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियां (अकृत्यिक चयन श्रेणी, स्तर 13 के सिवाय) अनुसूची 4 के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा वाली निचली श्रेणी के अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा की जाएंगी।
- (4) उपरोक्त खंड (ख) और खंड (ग) में अधिकारियों की प्रोन्नति, अकृत्यिक चयन श्रेणी के सिवाय, अनुसूची 5 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर 'चयन' द्वारा की जाएगी।
- (5) अकृत्यिक चयन श्रेणी (स्तर 13) में अधिकारियों की नियुक्ति ज्येष्ठता के आधार पर, उपयुक्तता के अधीन, अनुसूची-5 के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

7. सेवा में नियुक्ति – (1) सेवा में सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी।

8. परिवीक्षा – (1) कनिष्ठ समय मान में सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी, चाहे सीधी भर्ती द्वारा हो या प्रोन्नति द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परंतु काडर नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि का विस्तार सकेगा।

परंतु यह और कि, परिवीक्षा अवधि के विस्तार का कोई विनिश्चय साधारणतया पूर्ववर्ती परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में, कारण सहित सूचित किया जाएगा।

- (2) परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान, सरकार द्वारा किसी अधिकारी को ऐसे अपेक्षित हो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम करने या ऐसी परीक्षाओं और परीक्षा (हिंदी में परीक्षा सहित) को उत्तीर्ण करने के लिए कहा जा सकता है, जिन्हें सरकार परिवीक्षा की समाधानप्रद समाप्ति की शर्त के रूप में उचित समझे।
- (3) यदि यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान, सरकार की राय हो कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह अधिकारी को यथास्थिति, सेवामुक्त कर देगी या उसे सेवा में उसकी नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारित पद पर पुनर्स्थापित कर देगी।
- (4) परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तारण की अवधि पूरी होने पर, यदि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार और अनुसूची 5 के अनुसार गठित विभागीय पुष्टि समिति की सिफारिशों के आधार पर उसकी पुष्टि पर विचार किया जाएगा।

(5) जहां तक परीविक्षा से संबंधित अन्य विषयों का संबंध है सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

9. **ज्येष्ठता** – (1) किसी ड्यूटी पद पर नियुक्त, सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता, इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व यथाअवधारित होगी:

परंतु यदि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विशेष रूप से अवधारित नहीं की गई थी, यह इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले सेवा के सदस्यों पर यथालागू ज्येष्ठता के नियतन को शासित करने वाले नियमों के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन सम्मिलित नहीं किए गए मामलों में, सरकार द्वारा ज्येष्ठता का अवधारण, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

10. **अकृत्यिक उन्नयन** – (1) विभागीय जांच समिति की सिफारिशों पर अनुसूची-VI में यथाविनिर्दिष्ट सेवा की विभिन्न श्रेणियों (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणियों तक) में पात्र अधिकारियों को अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाएगा।

(2) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 24 अप्रैल, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी14017/64/2008-स्थापना (आरआर), उपाबंध-1 के उपबंधों के निबंधनों में, जब भी राज्य या संयुक्त काडर के किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को वेतन मैट्रिक्स में विशिष्ट वेतन स्तर वाली किसी विशेष श्रेणी में केंद्र में तैनात किया जाता है, तो सेवा के बैचों से संबंधित अधिकारियों को, जो दो वर्ष या उससे अधिक ज्येष्ठ हैं और अब तक उस विशेष श्रेणी में प्रोन्नत नहीं हुए हैं, भारतीय प्रशासनिक की तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर समान श्रेणी प्रदान की जाएगी।

(3) सेवा में किसी विशेष वेतन स्तर के उन्नयन के लिए बेंचमार्क सहित विहित पात्रता मानदंड और प्रोन्नति संबंधी मानकों सहित सभी निबंधन और शर्तों को, सरकार द्वारा इस विषय में जारी किए गए आदेशों और अनुदेशों में यथाविहित उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग के समय पूरा किया जाएगा।

(4) अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने के लिए अपनी पात्रता अवधारित करने के लिए सेवा के अधिकारियों का 'बैच' निम्नानुसार होगा:

(क) उन अधिकारियों के संबंध में जिन्हें सेवा के प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ समय मान) में सीधे भर्ती किया गया है, बैच वर्ष उस वर्ष का उत्तरवर्ती वर्ष होगा जिसमें प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी जिसके माध्यम से उन्हें सेवा में नियुक्त किया गया था। पश्चात्वर्ती श्रेणियों में, 'बैच' वही होगा परंतु कि अधिकारी को किसी कारण से अतिष्ठित नहीं किया जाता है। यदि किसी अधिकारी को अतिष्ठित किया जाता है, तो अधिकारी को उन अधिकारियों के 'बैच' के साथ माना जाएगा जिनके साथ उसकी ज्येष्ठता नियत की गई है।

(ख) प्रोन्नति द्वारा सेवा की प्रवेश श्रेणी (कनिष्ठ समय मान) में भर्ती किए गए ऐसे अधिकारियों के संबंध में, 'बैच' सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों का बैच होगा, जिनके साथ उनकी ज्येष्ठता को जोड़ा गया है। पश्चात्वर्ती श्रेणी में, 'बैच'

वही रहेगा परन्तु ऐसे अधिकारी किसी भी कारण से अतिष्ठित न हों। यदि किसी अधिकारी को अतिष्ठित किया जाता है, तो अधिकारी को उन अधिकारियों के 'बैच' के साथ माना जाएगा, जिनके साथ उसकी ज्येष्ठता नियत की गई है।

11. सेवा की शर्तें - (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होंगे, जिसके अंतर्गत भारत में या भारत से बाहर क्षेत्र भी है।

(2) जिन विषयों के संबंध जिनके लिए इन नियमों के अधीन उपबंध नहीं किया है, सेवा के अधिकारी की सेवा की शर्तें वही होंगी जो समय-समय पर साधारणतया केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू हैं।

12. निरर्हता - (1) वह व्यक्ति, —

(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(2) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. शिथिल करने की शक्ति - जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्ति के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो उसे सरकार के पास निर्दिष्ट किया जाएगा जो उस पर विनिश्चय करेगी।

अनुसूची- 1

[नियम 5(1) देखें]

सेवा में विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या

क्र. सं.	श्रेणी	पदनाम	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	ड्यूटी पद		
(1)	शीर्ष मान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 2,25,000 रु.)	मुख्य आर्थिक सलाहकार या समतुल्य	3
(2)	उच्च प्रशासनिक श्रेणी (एचएजी) (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 1,82,200-2,24,100 रु.)	ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार या ज्येष्ठ सलाहकार या समतुल्य	20
(3)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 1,44,200-2,18,200 रु.)	आर्थिक सलाहकार या समतुल्य	82
(4)	अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी) (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 1,23,100-2,15,900 रु.)**	निदेशक या समतुल्य	146
(5)	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जे एजी) (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78,800-2,09,200 रु.)	संयुक्त निदेशक या समतुल्य	
(6)	ज्येष्ठ समय-मान (एसटीएस) (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67,700-2,08,700 रु.)	उप निदेशक या समतुल्य	122
(7)	कनिष्ठ समय-मान (जेटीएस) (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 56,100-1,77,500 रु.)	सहायक निदेशक या समतुल्य	115
		कुल ड्यूटी पद	488
II	आरक्षित		50
		कुल स्वीकृत संख्या	538

**** टिप्पण** – वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 के अकृत्यिक चयन श्रेणी में अधिकारियों की संख्या काडर में ज्येष्ठ ड्यूटी पदों के अर्थात् वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 और उससे ऊपर के पदों तक तीस प्रतिशत तक निर्वाचित रहेगी। काडर की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (स्तर 12) और अकृत्यिक चयन श्रेणी (स्तर 13) में अधिकारियों की संयुक्त संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची- 2

[नियम 5(2) देखें]

भारतीय आर्थिक सेवा के लिए झूटी पदों का विवरण

क्र. सं.	मंत्रालय या विभाग	शीर्ष मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 2,25,000 रु.)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 1,82,200-2,24,100 रु.)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 1,44,200-2,18,200 रु.)	अकृत्यिक चयन में पदों की संख्या श्रेणी/कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 1,18,500-2,14,100 रु.) या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78,800-2,09,200 रु.)	ज्येष्ठ समय मान में पदों की संख्या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67,700 - 2,08,700 रु.)	कनिष्ठ समय मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 56,100-1,77,500 रु.)
1.	वित्त मंत्रालय						
क.	आर्थिक कार्य विभाग		3	8	19	25	19
ख.	व्यय विभाग				3	3	3
ग.	राजस्व विभाग				3	2	2
घ.	वित्तीय सेवा विभाग			2	4	2	2
ङ.	निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग			1	3	3	3
2.	मंत्रिमंडल सचिवालय					1	2
3.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय		1		2	1	1
4.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय						
क.	कृषि और किसान कल्याण विभाग	1		2	2	1	1
ख.	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय		1	2	4	3	2
ग.	कृषि लागत और मूल्य आयोग			2	2	2	2
5.	सहकारिता मंत्रालय			1	2	1	1
6.	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय						
क.	मत्स्य पालन विभाग			1	1	1	
ख.	पशुपालन विभाग			1	2		1

क्र. सं.	मंत्रालय या विभाग	शीर्ष मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 2,25,000 रु.)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 1,82,200-2,24,100 रु.)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 1,44,200-2,18,200 रु.)	अकृत्यिक चयन में पदों की संख्या श्रेणी/कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 1,18,500-2,14,100 रु.) या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78,800-2,09,200 रु.)	ज्येष्ठ मान में पदों की संख्या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67,700 - 2,08,700 रु.)	कनिष्ठ समय मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 56,100-1,77,500 रु.)
7.	ग्रामीण विकास मंत्रालय						
क.	ग्रामीण विकास विभाग		1	2	4	4	4
ख.	भूमि संसाधन विभाग			1	1	1	
8.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय						
क.	उपभोक्ता कार्य विभाग		1	1	3	3	3
ख.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग			1	1	1	1
9.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय			1	2	2	2
10.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय		1		1	1	1
11.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय						
क.	मंत्रालय-मुख्य			2	4	2	2
ख.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन				1		
12.	श्रम और रोजगार मंत्रालय						
क.	मंत्रालय- मुख्य	1		1	2	4	4
ख.	श्रम ब्यूरो		1	3	3	2	3
13.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय						
क.	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग			2	4	3	2
ख.	आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और	1		2	3	1	2

क्र. सं.	मंत्रालय या विभाग	शीर्ष मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 2,25,000 रु.)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 1,82,200-2,24,100 रु.)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 1,44,200-2,18,200 रु.)	अकृत्यिक चयन में पदों की संख्या श्रेणी/कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 1,18,500-2,14,100 रु.) या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78,800-2,09,200 रु.)	ज्येष्ठ समय मान में पदों की संख्या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67,700 - 2,08,700 रु.)	कनिष्ठ समय मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 56,100-1,77,500 रु.)
	आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग						
घ.	वाणिज्य विभाग		1	3	6	5	6
ङ.	व्यापार उपचार महानिदेशालय (पूर्ववर्ती डंपिंग-विरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)			1	1	1	1
च.	वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय				3	1	1
14.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय						
क.	मंत्रालय - मुख्य			1	2	1	1
ख.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त का कार्यालय			3	3	2	3
15.	जल शक्ति मंत्रालय						
क.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग			1	1		1
ख.	केंद्रीय जल आयोग						1
ग.	पेयजल और स्वच्छता विभाग		1	1	1		2
16.	नीति आयोग						
क.	नीति आयोग (मुख्य)		1	3	1	5	3
ख.	विकास निगरानी और मूल्यांकन संगठन			3	5	8	4

क्र. सं.	मंत्रालय या विभाग	शीर्ष मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 2,25,000 रु.)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 1,82,200-2,24,100 रु.)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 1,44,200-2,18,200 रु.)	अकृत्यिक चयन में पदों की संख्या श्रेणी/कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 1,18,500-2,14,100 रु.) या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78,800-2,09,200 रु.)	ज्येष्ठ मान में पदों की संख्या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67,700 - 2,08,700 रु.)	कनिष्ठ समय मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 56,100-1,77,500 रु.)
17.	संचार मंत्रालय						
	दूरसंचार विभाग			1	1	2	2
18.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			1	2		1
19.	विद्युत मंत्रालय						
क.	मंत्रालय-मुख्य			1	2	1	1
ख.	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण				1		
20.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			1	1	1	1
21.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			1	1	1	1
22.	वस्त्र मंत्रालय						
क.	मंत्रालय-मुख्य			1	1	1	2
ख.	जूट आयुक्त कार्यालय, कोलकाता					1	
ग.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, मुंबई					1	1
23.	रेल मंत्रालय			1	1	1	
24.	शिक्षा मंत्रालय						
क.	उच्च शिक्षा विभाग			1	2	1	1
ख.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग			1	2	2	2
25.	महिला और बाल विकास मंत्रालय			1	2	1	1

क्र. सं.	मंत्रालय या विभाग	शीर्ष मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 2,25,000 रु.)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 1,82,200-2,24,100 रु.)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 1,44,200-2,18,200 रु.)	अकृत्यिक चयन में पदों की संख्या श्रेणी/कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 1,18,500-2,14,100 रु.) या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78,800-2,09,200 रु.)	ज्येष्ठ समय मान में पदों की संख्या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67,700 - 2,08,700 रु.)	कनिष्ठ समय मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 56,100-1,77,500 रु.)
26.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		1	2	2	2	2
27.	इस्पात मंत्रालय			1	1		1
28.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय						
क.	रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग			1	1	1	
ख.	उर्वरक विभाग		1		2	1	1
ग.	औषधी विभाग		1	1	1	1	
घ.	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण				1	1	
29.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		1	2	2	3	2
30.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय						
क.	मंत्रालय-मुख्य		1		1		1
ग.	पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय:			1	2		
31.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय			1	1	1	
32.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय			1	1	1	
33.	जनजातीय कार्य मंत्रालय			1	1	1	
34.	कोयला मंत्रालय			1	1		1
35.	लोक उद्यम विभाग			1	1		
36.	भारी उद्योग मंत्रालय			1	2		
37.	पर्यटन मंत्रालय		1	1	1		1

क्र. सं.	मंत्रालय या विभाग	शीर्ष मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 2,25,000 रु.)	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 1,82,200-2,24,100 रु.)	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 1,44,200-2,18,200 रु.)	अकृत्यिक चयन में पदों की संख्या श्रेणी/कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 1,18,500-2,14,100 रु.) या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78,800-2,09,200 रु.)	ज्येष्ठ मान में पदों की संख्या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67,700 - 2,08,700 रु.)	कनिष्ठ समय मान में पदों की संख्या (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 56,100-1,77,500 रु.)
38.	नागर विमानन मंत्रालय		1	1	1	2	1
39.	खान मंत्रालय			1	1	1	1
40.	पंचायती राज मंत्रालय				1	1	
41.	विदेश मंत्रालय				1	1	2
42.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			1	1		1
43.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय				1		
44.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय			1	1		1
45.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय		1	1	2		1
46.	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद				1		
	कुल योग	3	20	82	146	122	115

टिप्पण - वेतन मैट्रिक्स 1,18,500-2,14,100 रु. के स्तर 13 में अकृत्यिक चयन श्रेणी में झूटी पदों की संख्या काडर में ज्येष्ठ झूटी पदों के तीस प्रतिशत तक सीमित होगी, अर्थात् वेतन मैट्रिक्स 67,700 -2,08,700 रु. में और उससे ऊपर के स्तर 11 में वेतन बैंड में पदों की संख्या।

अनुसूची - 3

[नियम 6(1)(1) देखें]

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती

भाग I

साधारण

1. कनिष्ठ समय वेतनमान के पद पर सीधी भर्ती आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाएगी।
2. परीक्षा में सफलता नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है जब तक कि सरकार का ऐसी जांच के पश्चात, जो आवश्यक समझी जाए, यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग II

प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती

1. अभ्यर्थी की आयु इक्कीस वर्ष की होनी चाहिए और उस वर्ष के दौरान आयोग द्वारा अधिसूचित दिन को बत्तीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिए, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है।
2. अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र या अर्थमिति में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करनी चाहिए।

अनुसूची -4

[नियम 6 देखें]

भारतीय आर्थिक सेवा के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित झूटी पदों पर प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अगली निम्न श्रेणी में भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा

क्रं.सं.	श्रेणी	भर्ती की पद्धति	चयन या अचयन पद	प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शीर्षमान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 2,25,000 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिनकी उस श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा की है।
2.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 1,82,200-2,24,100 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिनकी उस सेवा में समूह 'क' पद श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर ली है या पच्चीस वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली

क्र.सं.	श्रेणी	भर्ती की पद्धति	चयन या अचयन पद	प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				है, जिसमें से ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सेवा की है।
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 1,44,200-2,18,200 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में ऐसे अधिकारी जिन्होंने अकृत्यिक चयन श्रेणी सहित उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है या उस सेवा में समूह 'क' पदों में सत्रह वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे अधिकारी, जिनमें से न्यूनतम चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अकृत्यिक चयन श्रेणी में प्रदान की गई सेवा सहित) में होनी चाहिए।
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 78,800-2,09,200 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	ज्येष्ठ समय मान में ऐसा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।
5.	ज्येष्ठ समय मान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 67,700-2,08,700 रु.)	प्रोन्नति द्वारा	चयन	कनिष्ठ समय मान में ऐसा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।
6.	कनिष्ठ समय मान (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 56,100-1,77,500 रु.)	(i) (ii) इस श्रेणी में साठ प्रतिशत रिक्तियां आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी। (ii) इस श्रेणी में चालीस प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती प्रोन्नति द्वारा की जाएगी।	लागू नहीं होता चयन	अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रीति में सीधी भर्ती की जाएगी। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारी की प्रोन्नति द्वारा - (i) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए अनुसूची 3, बिंदु 3(i) में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता। काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त आर्थिक अधिकारी या अन्वेषक श्रेणी-1 सहायक निदेशक श्रेणी-2 (वेतन मैट्रिक्स 44,900-1,02,800 रु. में स्तर 7) के रूप में कम से कम सात वर्ष की नियमित सेवा प्रदान करने

क्र.सं.	श्रेणी	भर्ती की पद्धति	चयन या अचयन पद	प्रोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				के बाद, जो आयोग के परामर्श से सरकार के सहभागी मंत्रालयों या विभागों में स्थित ऐसे पदों की सूची तैयार करेगा। (ii) प्रोन्नति कोटा के लिए रिक्तियों को आयोग के परामर्श से भरा जाना चाहिए।

टिप्पण 1: कनिष्ठ समय मान स्तर पर प्रोन्नति के लिए पोषक श्रेणी पदधारी की परस्पर ज्येष्ठता, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 16 सितंबर 2022 के " ज्येष्ठता " संबंधी कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2.2 के उपबंधों के अनुसार नियत की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, इनमें से जो भी कम हो अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

अनुसूची - 4 क

[नियम 6(1)(क) देखें]

भारतीय आर्थिक सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर भर्ती/नियुक्ति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए की भर्ती की पद्धति, चयन क्षेत्र और अगली निम्न श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि

क्र.सं.	श्रेणी और पदनाम	भर्ती या नियुक्ति की पद्धति	चयन पद या अचयन पद।	चयन का क्षेत्र और नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अकृत्यिक चयन श्रेणी	उपयुक्तता के आधार पर ज्येष्ठता क्रम में नियुक्ति की जाएगी।	अचयन	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस परीक्षा के वर्ष के बाद वाले वर्ष से गणना किए जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया हो, जिसके आधार पर सदस्य की भर्ती की गई थी; या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने कनिष्ठ समय मान पर प्रोन्नति के माध्यम से सेवा में प्रवेश किया है और अकृत्यिक चयन श्रेणी पर विचार करने की तारीख पर उस वर्ष से तेरह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है जिसमें अधिकारी को समूह-क में प्रोन्नति किया गया था।

अनुसूची- 5

[नियम 6(1)(4,5) और नियम 8 देखें]

प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति और विभागीय पुष्टि समिति तथा भारतीय आर्थिक सेवा के समूह 'क' के अकृत्यिक चयन श्रेणी के अधिकारियों के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संरचना

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति या स्क्रीनिंग समिति का गठन।	श्रेणी की पुष्टि के लिए विभागीय पुष्टिकरण समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शीर्ष मान	1. आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. आर्थिक कार्य विभाग के सचिव - सदस्य 3. मुख्य आर्थिक सलाहकार या व्यय सचिव - सदस्य	लागू नहीं होता
2	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी	1. आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. आर्थिक कार्य सचिव - सदस्य 3. आर्थिक कार्य विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार या अपर सचिव - सदस्य	लागू नहीं होता
3.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. आर्थिक कार्य विभाग के सचिव - सदस्य 3. आर्थिक कार्य विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार या अपर सचिव - सदस्य	लागू नहीं होता
4.	अकृत्यिक चयन श्रेणी	1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष 2. मुख्य आर्थिक सलाहकार या अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य 3. संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य 4. ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा) या आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा) या संयुक्त सचिव (भारतीय आर्थिक सेवा) - सदस्य	लागू नहीं होता
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	1. आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष 2. आर्थिक कार्य विभाग के सचिव - सदस्य 3. आर्थिक कार्य विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार या अपर सचिव - सदस्य	लागू नहीं होता
6.	ज्येष्ठ समय मान	1. ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा) या आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक	लागू नहीं होता

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति या स्क्रीनिंग समिति का गठन।	श्रेणी की पुष्टि के लिए विभागीय पुष्टिकरण समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
		सेवा) या संयुक्त सचिव (भारतीय आर्थिक सेवा) - अध्यक्ष 2. उप सचिव या निदेशक, राजस्व विभाग - सदस्य 3. निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा) या संयुक्त निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा) - सदस्य	
7.	कनिष्ठ समय मान	1. आयोग के अध्यक्ष/सदस्य - अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा) या आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा) या संयुक्त सचिव (भारतीय आर्थिक सेवा) - सदस्य 3. निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा) या संयुक्त निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा) - सदस्य	1. ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा) या सलाहकार (भारतीय आर्थिक सेवा) या संयुक्त सचिव (भारतीय आर्थिक सेवा) - सदस्य 2. निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा) या संयुक्त निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा) - सदस्य

अनुसूची- 6

[नियम 10 देखें]

भारतीय आर्थिक सेवा के समूह 'क' अधिकारियों को अकृत्यिक उन्नयन प्रदान करने पर विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की संरचना

क्र.सं.	श्रेणी	अकृत्यिक श्रेणी में उन्नयन प्रदान करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की संरचना
1.	उच्च प्रशासनिक श्रेणी	1. आर्थिक कार्य विभाग के सचिव – सदस्य 2. मुख्य आर्थिक सलाहकार – सदस्य 3. भारतीय आर्थिक सेवा के प्रधान आर्थिक सलाहकार – सदस्य
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	-तदैव-
3.	अकृत्यिक चयन श्रेणी	-तदैव-
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	-तदैव-
5.	ज्येष्ठ समय मान	-तदैव-

[फा. सं. 11013/1/2024-आईईएस]

डॉ. अनुराधा गुरु, आर्थिक सलाहकार (आईईएस)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2026

G.S.R. 287(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Economic Service rules, 2008 and its subsequent amendments, except with respect to things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to and conditions of service of the Indian Economic Service, namely:

- 1. Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Indian Economic Service rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Definition** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires -
 - (a) “*Cadre Controlling Authority*” means the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India;
 - (b) “*Commission*” means the Union Public Service Commission;
 - (c) “*Departmental Promotion Committee*”, “*Departmental Confirmation Committee*” and “*Screening Committee*” mean the Committees constituted to consider promotion, confirmation, grant of Non-Functional Selection Grade and Non-Functional Upgradation respectively, in any grade as indicated in Schedule V and VI;
 - (d) “*Duty Post*” means the post which is included in Schedule I;
 - (e) “*Examination*” means the competitive examination consisting of a written examination and an interview held by the Commission for recruitment to the Indian Economic Service as specified in Schedule III;
 - (f) “*Government*” means the Government of India;
 - (g) “*Grade*” means a grade specified in column (2) of Schedule I;
 - (h) “*President*” means the President of India;
 - (i) “*Schedule*” means the schedule appended to these rules;
 - (j) “*Service*” means the Indian Economic Service as constituted in accordance with the provision of rule 3 of these rules;
 - (k) “*Scheduled Castes*” and “*Scheduled Tribes*” shall have the meanings as respectively assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India;
 - (l) “*Other Backward Classes*” have the same meaning and applicability as laid down in the Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated the 8th September, 1993 of the Department of Personnel and Training, as amended from time to time;
 - (m) “*Regular Service*”, in relation to any grade, means the period of service in that grade rendered after selection and regular appointment to that grade under the rules and includes any period:
 - i. taken into account for the purpose of seniority in the case of those already in service at the time of notification of these rules;
 - ii. during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts.

- 3. Constitution of the Service** – (1) There shall be a constituted Service to be known as the ‘Indian Economic Service’ consisting of persons appointed to the Service under rules 4, 6 and 7.
- (2) All the posts included in the Service shall be classified as Group ‘A’ posts.
- 4. Members of the Service** – (1) The following persons shall be members of the Service, namely: -
- (a) existing officers of the Indian Economic Service holding duty posts on regular basis or on lien in various grades of the Service as on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the duty posts under these rules; and
- (b) persons appointed to the duty posts under rule 6.
- (2) A person referred to in clause (a) of sub-rule (1), shall continue to be a member of the Service in the appropriate grade as applicable to him.
- (3) A person referred to in clause (b) of sub-rule (1), shall become a member of the Service in the appropriate grade applicable to him from the date of his appointment under these rules.
- (4) The regular service of an officer referred to in sub-rule (1), in the respective corresponding grades, rendered prior to the commencement of these rules, shall be counted as qualifying service for the purposes of seniority, confirmation, promotion, non-functional selection grade and non-functional upgradation.
- 5. Grades, authorised strength and its review** – (1) The authorised strength of the various grades of the Service on the date of commencement of these rules, the number of duty posts in each grade and the pay scales attached thereto, shall be as specified in Schedule I.
- (2) The distribution of duty posts across various Ministries or Departments shall be as specified in Schedule II.
- (3) After the date of commencement of these rules, the authorised strength of various grades of the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time, through the established procedure as laid down by the Department of Personnel and Training and Department of Expenditure, which shall be duly incorporated into these rules.
- (4) The Cadre Controlling Authority shall make such alteration in the sanctioned strength of the duty posts in various grades as it thinks necessary through the established procedure as laid down by the Department of Personnel and Training and Department of Expenditure from time to time.
- (5) The Government may make such adjustments in the distribution of posts between different Ministries or Departments, keeping in view the needs of the participating Ministry or Department as it may deem necessary through the established procedure as laid down by the Department of Personnel and Training and Department of Expenditure from time to time.
- (6) The Government may, in consultation with the Commission and the Government, [Ministry of Finance, Department of Expenditure (Wherever applicable) and Department of Personnel and Training], include in the Service such posts (other than those included in Schedule I) as may be equivalent to the posts included in the Service in status, grades, scales of pay and professional context, or exclude from the Service any posts included in the said Schedule.
- (7) The Cadre Controlling Authority may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (6) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity as it may deem fit and fix his seniority in such a grade in

accordance with the orders and instructions issued by the Government from time to time in this regard.

- 6. Future maintenance of the Service** – (1) The posts in any of the grades shall be governed by and filled in the following manner namely,
- (a) Sixty per cent of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of the Examination, to be held by the Commission in the manner specified in Schedule III.
 - (b) Forty per cent of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by promotion of Economic Officers or Investigator Grade-I or Assistant Director Grade-II, level 7 in the pay matrix (₹44,900-1,42,400) recognised by the Cadre Controlling Authority for this purpose, on the basis of selection in accordance with the provisions of Schedule IV.
 - (c) Appointments to the posts of Senior Time Scale and above (except for Non-functional Selection Grade, level 13) in the Service shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade with the minimum qualifying service as specified in column (5) of Schedule IV.
 - (d) Promotion of officers in clauses (b) and (c) above, shall be made by 'selection' except for the Non-Functional Selection Grade, on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule V.
 - (e) The appointment of officers to Non-Functional Selection Grade (level 13) shall be made as placement on the basis of seniority, subject to suitability on the recommendation of the Committee constituted for this purpose in accordance with Schedule-V.
- 7. Appointment to the Service** – (1) All appointments to the Service shall be made by the Government.
- 8. Probation** – (1) Every officer on appointment to the Service in the Junior Time Scale either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the officer concerned together with reasons for so doing within the said period.

- (2) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by the Government to undergo such courses of training or to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition for satisfactory completion of probation.
- (3) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it shall discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.
- (4) On completion of the period of probation or any extension thereof, an officer shall, if considered fit for permanent appointment, be considered for confirmation, in terms of the orders of the

Government issued from time to time, and on the basis of the recommendations of the Departmental Confirmation Committee constituted in accordance with Schedule V.

- (5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the orders or instructions issued by the Government from time to time.

- 9. Seniority** – (1) The relative seniority of the members of the Service, appointed to a duty post, shall be, as determined prior to the commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing fixation of seniority as applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

- (2) In the cases not covered under sub-rule (1) above, the seniority shall be determined by the Government in accordance with the general instructions issued by the Central Government for the purpose, from time to time.

- 10. Non-functional upgradation** – (1) The non-functional upgradation shall be granted to the eligible officers in various grades (upto Higher Administrative Grade) of the Service on the recommendations of the Departmental Screening Committee, as specified in Schedule-VI.

- (2) Whenever any Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific pay level in the pay matrix, the officers belonging to batches of the Service that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade shall be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade at the Centre, in terms of the provisions of Annexure-I to the Department of Personnel and Training Office Memorandum No. AB.14017/64/2008-Estt.(RR), dated the 24th April, 2009, as amended from time to time.

- (3) All the terms and conditions, including the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular pay level of the service, etc., shall have to be met at the time of screening for grant of higher pay-scale, as prescribed in the orders and instructions issued in the matter by the Government.

- (4) The 'Batch' of the officers of the Service for determining their eligibility for grant of non-functional upgradation shall be as follows:

(a) In respect of the officers who have been directly recruited to the entry grade (Junior Time Scale) of the Service, the Batch year shall be the year following the year in which competitive examination was held through which they were appointed to the Service. In subsequent grades, the 'Batch' shall remain the same provided the officer is not superseded due to any reason, and in case an officer is superseded, the officer shall be considered along with the 'Batch' of the officers with whom his seniority is fixed.

(b) In respect of the officers who have been recruited to the entry grade (Junior Time Scale) of the Service by promotion, the 'Batch' shall be batch of the directly recruited officers, with whom their seniority is clubbed. In subsequent grades, the 'batch' shall remain the same provided the officer is not superseded due to any reason. In case an officer is superseded, the officer shall be considered along with the 'Batch' of the officers with whom his seniority is fixed.

- 11. Conditions of Service-** (1) The officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India, including field service in or out of India.
- (2) The conditions of service of the officer of the Service in respect of matters for which no provision has been made under these rules shall be the same as are applicable from time to time, to the officers of Central Civil Services in general.
- 12. Disqualification** - (1) No person, —
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the Service:
- Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 13. Power to relax** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 14. Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.
- 15. Interpretation** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government who shall decide the same.

SCHEDULE- I

[See rule 5(1)]

AUTHORISED STRENGTH OF THE VARIOUS GRADES IN THE SERVICE

Sl. No.	Grade	Designation	STRENGTH
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	<i>Duty Posts</i>		
(1)	Apex Scale (level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000)	Principal Economic Adviser or equivalent-	3
(2)	Higher Administrative Grade (HAG) (level 15 in the pay matrix ₹ 1,82,200-2,24,100)	Senior Economic Adviser or Senior Adviser or equivalent	20
(3)	Senior Administrative Grade (SAG) (level 14 in the pay matrix ₹1,44,200-2,18,200)	Economic Adviser or equivalent	82

(4)	Non-Functional Selection Grade (NFSG) (level 13 in the pay matrix ₹ 1,23,100-2,15,900)**	Director or equivalent	146
(5)	Junior Administrative Grade (JAG) (level 12 in the pay matrix ₹78,800-2,09,200)	Joint Director or equivalent	
(6)	Senior Time Scale (STS) (level 11 in the pay matrix ₹67,700-2,08,700)	Deputy Director or equivalent	122
(7)	Junior Time Scale (JTS) (level 10 in the pay matrix ₹56,100-1,77,500)	Assistant Director or equivalent	115
		TOTAL DUTY POSTS	488
II	Reserves		50
		Total authorised strength	538

**** Note** –The number of officers in Non-Functional Selection Grade in level 13 in the pay matrix shall be restricted to thirty per cent of Senior Duty Posts in the Cadre, that is, posts in level 11 and above in the Pay Matrix. There shall be no increase in the overall strength of the Cadre and the combined number of officers in Junior Administrative Grade (level 12) and the Non-functional selection grade (level-13) shall not exceed the number of posts available in the Junior Administrative Grade.

SCHEDULE- II

[See rule 5(2)]

STATEMENT OF DUTY POSTS FOR THE INDIAN ECONOMIC SERVICE

S. No.	Ministry or Department	Number of posts in Apex Scale (level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000)	Number of posts in Higher Administrative Grade (level 15 in the pay matrix ₹ 1,82,200-2,24,100))	Number of posts in Senior Administrative Grade (level 14 in the pay matrix ₹1,44,200-2,18,200)	Number of posts in Non-Functional Selection Grade/ Junior Administrative Grade (level 13 in the pay matrix ₹1,18,500-2,14,100) or (level 12 in the pay matrix ₹78,800-2,09,200)	Number of posts in Senior Time Scale (level 11 in the pay matrix ₹ 67,700 - 2,08,700)	Number of posts in Junior Time Scale (level 10 in the pay matrix ₹ 56,100-1,77,500)
1.	Ministry of Finance						
a.	Department of Economic Affairs		3	8	19	25	19
b.	Department of Expenditure				3	3	3
c.	Department of Revenue				3	2	2
d.	Department of Financial Services			2	4	2	2
e.	Department of Investment and Public Asset Management			1	3	3	3
2.	Cabinet Secretariat					1	2
3.	Ministry of Corporate Affairs		1		2	1	1

S. No.	Ministry or Department	Number of posts in Apex Scale (level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000)	Number of posts in Higher Administrative Grade (level 15 in the pay matrix ₹ 1,82,200-2,24,100)	Number of posts in Senior Administrative Grade (level 14 in the pay matrix ₹ 1,44,200-2,18,200)	Number of posts in Non-Functional Selection Grade/ Junior Administrative Grade (level 13 in the pay matrix ₹ 1,18,500-2,14,100) or (level 12 in the pay matrix ₹ 78,800-2,09,200)	Number of posts in Senior Time Scale (level 11 in the pay matrix ₹ 67,700 - 2,08,700)	Number of posts in Junior Time Scale (level 10 in the pay matrix ₹ 56,100-1,77,500)
4.	Ministry of Agriculture and Farmers Welfare						
a.	Department of Agriculture and Farmers Welfare	1		2	2	1	1
b.	Directorate of Economics and Statistics		1	2	4	3	2
c.	Commission for Agricultural Costs and Prices			2	2	2	2
5.	Ministry of Cooperation			1	2	1	1
6.	Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying						
a.	Department of Fisheries			1	1	1	
b.	Department of Animal Husbandry			1	2		1
7.	Ministry of Rural Development						
a.	Department of Rural Development		1	2	4	4	4
b.	Department of Land Resources			1	1	1	
8.	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution						
a.	Department of Consumer Affairs		1	1	3	3	3
b.	Department of Food and Public Distribution			1	1	1	1
9.	Ministry of Road Transport and Highways			1	2	2	2
10.	Ministry of Ports, Shipping and Waterways		1		1	1	1
11.	Ministry of Housing and Urban Affairs						
a.	Ministry Proper			2	4	2	2
b.	National Building Organisation				1		
12.	Ministry of Labour and Employment						
a.	Ministry proper	1		1	2	4	4
b.	Labour Bureau		1	3	3	2	3

S. No.	Ministry or Department	Number of posts in Apex Scale (level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000)	Number of posts in Higher Administrative Grade (level 15 in the pay matrix ₹ 1,82,200-2,24,100))	Number of posts in Senior Administrative Grade (level 14 in the pay matrix ₹1,44,200-2,18,200)	Number of posts in Non-Functional Selection Grade/ Junior Administrative Grade (level 13 in the pay matrix ₹1,18,500-2,14,100) or (level 12 in the pay matrix ₹78,800-2,09,200)	Number of posts in Senior Time Scale (level 11 in the pay matrix ₹ 67,700 - 2,08,700)	Number of posts in Junior Time Scale (level 10 in the pay matrix ₹ 56,100-1,77,500)
13.	Ministry of Commerce and Industry						
a.	Department. for Promotion of Industry and Internal Trade			2	4	3	2
b.	Office of Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade	1		2	3	1	2
d.	Department of Commerce		1	3	6	5	6
e.	Directorate General of Trade Remedies (<i>erstwhile Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties</i>)			1	1	1	1
f.	Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics				3	1	1
14.	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises						
a.	Ministry Proper			1	2	1	1
b.	Office of Development Commissioner, Ministry of Micro, Small & and Medium Enterprises			3	3	2	3
15.	Ministry of Jal Shakti						
a.	Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			1	1		1
b.	Central Water Commission						1
c.	Department of Drinking Water and Sanitation		1	1	1		2
16.	NITI Aayog						
a.	NITI Aayog (Main)		1	3	1	5	3
b.	Development Monitoring and Evaluation Organisation			3	5	8	4
17.	Ministry of Communications						

S. No.	Ministry or Department	Number of posts in Apex Scale (level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000)	Number of posts in Higher Administrative Grade (level 15 in the pay matrix ₹ 1,82,200-2,24,100)	Number of posts in Senior Administrative Grade (level 14 in the pay matrix ₹1,44,200-2,18,200)	Number of posts in Non-Functional Selection Grade/ Junior Administrative Grade (level 13 in the pay matrix ₹1,18,500-2,14,100) or (level 12 in the pay matrix ₹78,800-2,09,200)	Number of posts in Senior Time Scale (level 11 in the pay matrix ₹ 67,700 - 2,08,700)	Number of posts in Junior Time Scale (level 10 in the pay matrix ₹ 56,100-1,77,500)
	Department of Telecommunications			1	1	2	2
18.	Ministry of Electronics and Information Technology			1	2		1
19.	Ministry of Power						
a.	Ministry proper			1	2	1	1
b.	Central Electricity Authority				1		
20.	Ministry of Petroleum and Natural Gas			1	1	1	1
21.	Ministry of Statistics and Programme Implementation			1	1	1	1
22.	Ministry of Textiles						
a.	Ministry proper			1	1	1	2
b.	Office of Jute Commissioner, Kolkata					1	
d.	Office of Development Commissioner (Handicrafts), Mumbai					1	1
23.	Ministry of Railways			1	1	1	
24.	Ministry of Education						
a.	Department of Higher Education			1	2	1	1
b.	Department of School Education and Literacy			1	2	2	2
25.	Ministry of Women and Child Development			1	2	1	1
26.	Ministry of Health and Family Welfare		1	2	2	2	2
27.	Ministry of Steel			1	1		1
28.	Ministry of Chemicals and Fertilizers						
a.	Department of Chemicals and Petrochemicals			1	1	1	
b.	Department of Fertilizers		1		2	1	1
c.	Department of Pharmaceuticals		1	1	1	1	

S. No.	Ministry or Department	Number of posts in Apex Scale (level 17 in the pay matrix ₹ 2,25,000)	Number of posts in Higher Administrative Grade (level 15 in the pay matrix ₹ 1,82,200-2,24,100))	Number of posts in Senior Administrative Grade (level 14 in the pay matrix ₹1,44,200-2,18,200)	Number of posts in Non-Functional Selection Grade/ Junior Administrative Grade (level 13 in the pay matrix ₹1,18,500-2,14,100) or (level 12 in the pay matrix ₹78,800-2,09,200)	Number of posts in Senior Time Scale (level 11 in the pay matrix ₹ 67,700 - 2,08,700)	Number of posts in Junior Time Scale (level 10 in the pay matrix ₹ 56,100-1,77,500)
d.	National Pharmaceutical Pricing Authority				1	1	
29.	Ministry of Environment, Forests and Climate Change		1	2	2	3	2
30.	Ministry of DONER						
a.	Ministry proper		1		1		1
b.	NEC Sectt			1	2		
31.	Ministry of Information and Broadcasting			1	1	1	
32.	M/o Social Justice and Empowerment			1	1	1	
33.	M/o Tribal Affairs			1	1	1	
34.	M/o Coal			1	1		1
35.	Department of Public Enterprises			1	1		
36.	Ministry of Heavy Industries			1	2		
37.	Ministry of Tourism		1	1	1		1
38.	Ministry of Civil Aviation		1	1	1	2	1
39.	Ministry of Mines			1	1	1	1
40.	Ministry of Panchayati Raj				1	1	
41.	Ministry of External Affairs				1	1	2
42.	Ministry of New and Renewable Energy			1	1		1
43.	Ministry of Minority Affairs				1		
44.	Ministry of Food Processing Industries			1	1		1
45.	Ministry of Skill Development and Entrepreneurship		1	1	2		1
46.	Economic Advisory Council to the Prime Minister				1		
	Grand Total	3	20	82	146	122	115

Note—The number of duty posts in Non-Functional Selection Grade in the level 13 in the pay matrix ₹ 1,18,500-2,14,100 shall be restricted to thirty percent of the Senior Duty Posts in the Cadre, that is, posts in pay bands with level 11 in the pay matrix ₹ 67,700 -2,08,700 and above.

SCHEDULE- III*[See rule 6(1)(a)]***DIRECT RECRUITMENT THROUGH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION****PART I****General**

1. Direct Recruitment to the post of Junior Time Scale shall be filled on the basis of results of the Examination conducted by the Commission.
2. Success in the examination confers no right for appointment unless Government is satisfied, after conducting enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

PART II**Recruitment through Competitive Examination**

1. A candidate must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of thirty-two years on the day as notified by the Commission during the year in which the examination is held.
2. A candidate must have obtained a Post-graduate Degree in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics from a recognised University or institute.

SCHEDULE –IV*[See rule 6]***METHOD OF RECRUITMENT, FIELD OF PROMOTION AND MINIMUM QUALIFYING SERVICE IN THE NEXT LOWER GRADE FOR APPOINTMENT OF OFFICERS ON PROMOTION TO DUTY POSTS INCLUDED IN VARIOUS GRADES OF THE INDIAN ECONOMIC SERVICE**

Sl. No.	Grade	Method of recruitment	Whether selection or non-selection post	Field of Selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Apex Scale (level 17 in the pay matrix ₹2,25,000)	By promotion	Selection	Officer in Higher Administrative Grade with a minimum of two years of regular service in the Grade
2.	Higher Administrative Grade (level 15 in the pay matrix ₹1,82,200-2,24,100)	By promotion	Selection	Officer in the Senior Administrative Grade with three years of regular service in the grade or officer with twenty-five years of regular service in Group 'A' posts in the Service, out of which at least one year of regular service should be in the Senior Administrative Grade.
3.	Senior Administrative Grade (level 14 in the pay matrix ₹1,44,200-2,18,200)	By promotion	Selection	Officer in the Junior Administrative Grade with eight years of regular service in the grade including Non-Functional Selection Grade or officer with seventeen years of regular service in Group 'A' posts in the service, out of which at least four years of regular service should be in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade).
4.	Junior Administrative Grade (level 12 in the pay matrix ₹ 78,800-2,09,200)	By promotion	Selection	Officer in the Senior Time Scale with five years regular service in the grade.
5.	Senior Time Scale (level 11 in the pay matrix ₹ 67,700-2,08,700)	By promotion	Selection	Officer in the Junior Time Scale with four years regular service in the grade.

Sl. No.	Grade	Method of recruitment	Whether selection or non-selection post	Field of Selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Junior Time Scale (level 10 pay matrix ₹ 56,100-1,77,500)	(i) Sixty of vacancies in the grade by direct recruitment through Examination conducted by the Commission (ii) Forty percent of vacancies in the grade by promotion	Not Applicable Selection	Direct recruitment to be made in the manner specified in Schedule III. By promotion of officer meeting the following conditions - (i) Educational qualification as specified in Schedule III, Point 3(i) for Direct Recruitment through Union Public Service Commission Having rendered at least seven years of regular service as Economic Officer or Investigator Grade-I or Assistant Director Grade-II (of level 7 in the pay matrix ₹ 44,900-1,02,800) recognised for this purpose by the Cadre Controlling Authority, who shall prepare a list of such posts located in the participating Ministries or Departments of the Government, in consultation with the Commission. (ii) Filling up of vacancies against the promotion quota should be done in consultation with the Commission.

Note 1: The inter se-seniority of the incumbents in feeder grade for promotion to Junior Time Scale level will be fixed as per provisions of para 2.2 of the Department of Personnel and Training Office Memorandum dated 16th September 2022 on “Seniority”, as amended from time to time.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying service or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE – IV A*[See rule 6(1)(e)]*

Method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on recruitment/appointment to Duty Posts included in various Grades of the Indian Economic Service

S. No.	Grade and Designation	Method of recruitment or appointment	Whether Selection or non-selection post	Field of selection and minimum qualifying service for placement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	Non-Functional Selection Grade in Junior Administrative Grade	By placement on seniority basis subject to suitability	Non-Selection	Officers of the Junior Administrative Grade who have entered the fourteenth year of service as on the 1st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the member was recruited; or officers of the Junior Administrative Grade who have entered the service through promotion at the junior Time Scale and have completed thirteen years of regular service calculated from the year in which the officer was promoted to Group-A on the date of consideration of Non functional selection grade.

SCHEDULE- V

[See rule 6(1)(d,e) and rule 8]

COMPOSITION OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE AND DEPARTMENTAL CONFIRMATION COMMITTEE FOR CONSIDERING CASES OF PROMOTION AND CONFIRMATION RESPECTIVELY AND DEPARTMENTAL SCREENING COMMITTEE FOR CONSIDERING CASES OF NON-FUNCTIONAL SELECTION GRADE OF GROUP 'A' OFFICERS OF INDIAN ECONOMIC SERVICE

Sl. No.	Grade	Composition of Departmental Promotion Committee or Screening Committee for considering appointment to the grade	Composition of Departmental Confirmation Committee for Confirmation to the grade
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Apex Scale	1. Chairperson or Member, Commission-Chairperson 2. Secretary, Department of Economic Affairs - Member 3. Chief Economic Adviser or Secretary, Expenditure- Member	NA
2	Higher Administrative Grade	1. Chairperson or Member, Commission-Chairperson 2. Secretary, Economic Affairs- Member 3. Chief Economic Adviser or Additional Secretary, Department of Economic Affairs - Member	NA
3.	Senior Administrative Grade	1. Chairperson or Member, Commission-Chairperson 2. Secretary, Department of Economic Affairs - Member 3. Chief Economic Adviser or Additional Secretary, Department of Economic Affairs - Member	NA
4.	Non-Functional Selection Grade	1. Secretary, Department of Economic Affairs - Chairperson 2. Chief Economic Adviser or Additional Secretary, Department of Economic Affairs - Member 3. Joint Secretary, Department of Revenue – Member 4. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service) or Economic Adviser (Indian Economic Service) or Joint Secretary (Indian Economic Service)- Member	NA
5.	Junior Administrative Grade	1. Chairperson or Member, Commission-Chairperson 2. Secretary, Department of Economic Affairs - Member 3. Chief Economic Adviser or Additional Secretary, Department of Economic Affairs - Member	NA
6.	Senior Time Scale	1. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service) or Economic Adviser (Indian Economic Service) or Joint Secretary (Indian Economic Service)- Chairperson	NA

Sl. No.	Grade	Composition of Departmental Promotion Committee or Screening Committee for considering appointment to the grade	Composition of Departmental Confirmation Committee for Confirmation to the grade
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Deputy Secretary or Director, Department of Revenue—Member 3. Director (Indian Economic Service) or Joint Director (Indian Economic Service)- Member	
7.	Junior Time Scale	1. Chairperson/Member, Commission-Chairperson 2. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service) or Economic Adviser (Indian Economic Service) or Joint Secretary (Indian Economic Service)- Member 3. Director (Indian Economic Service) or Joint Director (Indian Economic Service)- Member	1. Senior Economic Adviser (Indian Economic Service) or Adviser (Indian Economic Service) or Joint Secretary (Indian Economic Service)- Member 2. Director (Indian Economic Service) or Joint Director (Indian Economic Service)- Member

SCHEDULE- VI*[See rule 10]***COMPOSITION OF SCREENING COMMITTEE/ FOR CONSIDERING GRANT OF NON-FUNCTIONAL UPGRADATION TO GROUP 'A' OFFICERS OF INDIAN ECONOMIC SERVICE**

Sl. No.	Grade	Composition of Screening Committee for grant of Non-Functional Upgradation to the grade
1.	Higher Administrative Grade	1. Secretary, Department of Economic Affairs – Member 2. Chief Economic Adviser- Member 3. Principal Economic Adviser, Indian Economic Service – Member
2.	Senior Administrative Grade	-do-
3.	Non-Functional Selection Grade	-do -
4.	Junior Administrative Grade	-do -
5.	Senior Time Scale	-do-

[F. No. 11013/1/2024-IES]

Dr. ANURADHA GURU, Economic Adviser (IES)